

SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE
CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1898

In the court of . कुमारी प्रतिष्ठा अवस्थी जे.एम.एफ.सी गोहद भिण्ड

प्रकरण क्रमांक 105/2017

Name and address of the complain म०प्र० शासन द्वारा पुलिस थाना गोहद चौराहा जिला
प्रशासन भिण्ड म०प्र०

name, parentage, caste and address of accused

1. विजय पुत्र बंशीधर राजपूत उम्र 25 वर्ष निवासी भवतपुर थाना सकीट जिला एटा उ०प्र०

The offence complained of, and date of its alleged commission

1. यह कि आपने दिनांक 20/06/17 को थाने के सामने भिण्ड ग्वालियर हाइवे रोड पर अपने
आधिपत्य के वाहन ट्रक क्रमांक एम.पी.07 एचवी 1874 को नशे की हालत में चलाया?

2. यह कि आपके पास घटना दिनांक समय व स्थान पर ट्रक क्रमांक एमपी 07 एचवी 1874 को
चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था?

तुम्हारा उपरोक्त कृत्य धारा 185 एवं [3/181](#) मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।
स्पष्ट करो अपराध स्वीकार है या विचारण चाहते हो।

.....
The plea of the accused and his examination [if any]--
आरोपी का अभिवाक--

.....
The offence proved, if any in, case under clause (d), clause (e),
clause (f) or clause (g), of sub-section (1) of section 260, the value of
the property in respect of which the offence has been committed

// निर्णय //

(आज दिनांक 21/06/17 को घोषित किया गया)

1. अभियुक्त/अभियुक्तगण को धारा 185 एवं [3/181](#) मोटरयान अधिनियम के तहत अपराध विवरण समरी शीट पर तैयार कर पढ़कर सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्त/अभियुक्तगण ने स्वेच्छापूर्वक अपराध किया जाना स्वीकार किया।
2. अभियुक्त/अभियुक्तगण द्वारा की गयी स्वेच्छापूर्वक स्वीकारोक्ति, बिना किसी डर, दवाब व भय के की गई है। अतएव उसके द्वारा की गयी स्वेच्छा स्वीकारोक्ति के आधार उसे/उन्हें उक्त धारा 185 एवं [3/181](#) मोटरयान अधिनियम के अपराध का दोषी ठहराया जाता है एवं अभियुक्त/अभियुक्तगण को धारा 185 मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 1500/-रुपये के अर्थदंड तथा अर्थदण्ड की राशि में व्यक्तिगत होने पर दस दिवस का साधारण कारावास एवं मोटरयान अधिनियम की धारा [3/181](#) के अंतर्गत 500/- रुपये के अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड की राशि में व्यक्तिगत होने पर 5 दिवस के साधारण कारावास के दंड से दंडित किया जाता है।
3. प्रकरण में जप्तशुदा वाहन ट्रक क्रमांक एम.पी.07 एचवी 1874 उसके पंजीकृत स्वामी को वापिस किया जाये।

स्थान-गोहद

दिनांक- 21/06/17

निर्णय आज दिनांकित एवं

हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया

मेरे निर्देशानुसार टंकित किया गया

सही/-
(प्रतिष्ठा अवस्थी)
जेएमएफसी गोहद

सही/-
(प्रतिष्ठा अवस्थी)
जेएमएफसी गोहद